सं0 4502/38–3–2001–500 (33)/2000

प्रेषक,

रमेन्द्र त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,

उत्तर प्रदेश शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 06 अक्टूबर,2001

विषयः–विधायक निधि की धनराशि से कंप्यूटर क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4225/38–3–2001–500(33)/2000 दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायक निधि से कम्प्यूटर क्रय हेतु आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या–08/78–आई0टी0–2– 2001 दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर 6 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे।
2. उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्तरों से कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया से संबंधित कतिपय पृच्छायें की गयी है।
3. इस सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि विधायक निधि के अंतर्गत कम्प्यूटर का क्रय विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाये। इस हेतु विधायक निधि की धनराशि से विद्यालयों के लिये कम्प्यूटर एवं विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों के उपयोगार्थ लैपटाप कम्प्यूटर का क्रय आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश सं0–08/78–आई0टी0–2–2001 दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर 6 एवं 7 के अनुसार जिला स्तर पर ही किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेन्द्र त्रिपाठी)

विशेष सचिव

सं0-4502 (1)/ 38–3–2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7. विधान मण्डल के दोनो सदनो मा0 सदस्यगण।
8. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. मा0 मंत्री जी /मा0 राज्य मं.ी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 के सूचनार्थ उनके निजी राचिव।
12. निजी सचिव मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
13. निजी सचिव अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
14. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष राचिव

54